सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 03, शुक्रवार, *शाके* 1946-मई 24, 2024 *Jyaistha 03, Friday , Saka 1946- May 24, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रेल 03, 2024

संख्या प. 2(19)वन/2024 :-चुकिं निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चुकिं पूर्वोवत भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व ही किये गये है। और चुकिं सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोवत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चुंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारो को क्षति पहुचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ओफिसर को पूर्वोतर वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती हैं। तथ ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11(1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आवेगी। और न उस पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष संलग्न द्वितीय अनुसूची में अकिंत किये गये है।

राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोतर तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची										
क्र.सं.	**नाम ब्लॉक**	**नाम तहसील**	**नाम जिला**	**सीमा**			**विवरण**			
				दिशा	**भूमि**	**खसरा नंबर**	**नाम ग्राम**	**खसरा नंबर**	**क्षेत्रफल (बीघा बिस्वा में)**	**क्षेत्रफल (है0 में)**
1.	रक्षित वनखंड सांवल्दा (भाग-I)	अकलेरा	झालावाड़	पूर्व	निजी खातेदारी भूमि	62	सांवल्दा	115	58 बीघा 09 बिस्वा	14.7953
				पश्चिम	निजी खातेदारी भूमि	124				
				उत्तर	निजी खातेदारी भूमि	70, 73		75	05 बीघा 19 बिस्वा	1.5054
				दक्षिण	राजस्व भूमि गैर मु0 रास्ता	113				
योग रक्षित वनखंड सांवल्दा(भाग-I)									64 बीघा 8 बिस्वा	16.3007
2.	रक्षित वनखंड सांवल्दा (भाग-II)	अकलेरा	झालावाड़	पूर्व	निजी खातेदारी भूमि	84	सांवल्दा	85	0 बीघा 10 बिस्वा	0.1214
				पश्चिम	निजी खातेदारी भूमि	86				
				उत्तर	निजी खातेदारी भूमि	47				
				दक्षिण	निजी खातेदारी भूमि	107				
योग रक्षित वनखंड सांवल्दा (भाग-II)									10 बिस्वा	0.1214
कुल योग वनखंड सांवल्दा (भाग-I तथा भाग II) :-									**64 बीघा 18 बिस्वा**	**16.4221**

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
अकलेरा झालावाड़

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखण्ड सांवल्दा

पेडो की सूची

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	Diospyros meanoxylon	**तेन्दु**
2	Acacia leucophloea	**रोंझ**
3	Azadirachta indica	**नीम**
4	Vachellia nilotica	**बबूल**
5	Prosopos cineraria	**खेजड़ी**
6	Holoptelia integrifolia	**चुरेल**

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
अकलेरा झालावाड़

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय उप वन संरक्षक झालावाड़

प्रमाण पत्र

जिला :-झालावाड
रेंज :- अकलेरा
ग्राम :-अकलेरा
मण्डल :- सांवल्दा
रक्षित वनखण्ड :- सांवल्दा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण छापी सिचाई परियोजना के विरूद् प्राप्त गैर वनभूमि है जिसको वन विभाग के नाम अमल-दरामद की जा चूकी है। भूमि की किस्म गे.मु0 जंगलात है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यो के कराये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न हैं जिस में खसरा नं. व रकबा दर्ज है।
5. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक हैं। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
6. इस भूमि का पूर्व में राज पत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।
7. प्रस्तावित वनखण्ड में से ख.नं. 113 गैर मुमकिन रास्ता गुजर रहा है जिस पर वन विभाग का कोई अधिकार/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
अकलेरा झालावाड़

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।